



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
 भाग-4, खण्ड (ख)
 (परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 17 दिसम्बर, 2020
 अग्रहायण 26, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
 लोक निर्माण अनुभाग-2

संख्या 617/23-2-2020-89(सा10)-2020
 लखनऊ, 17 दिसम्बर, 2020

अधिसूचना

प०आ०-450

चूँकि, राज्य सरकार की यह राय है कि जिला गोरखपुर में कुँवानों नदी के बनकटा शाहपट्टी घाट पर एक नये सार्वजनिक नौघाट की आवश्यकता है;

अतएव, अब, उत्तरी भारत नौघाट अधिनियम, 1878 (अधिनियम संख्या 17 सन् 1878) की धारा 4 के खण्ड (ग) और (घ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से नीचे अनुसूची में यथा दर्शित सीमाओं के भीतर जिला गोरखपुर के बनकटा शाहपट्टी घाट पर एक नया सार्वजनिक नौघाट स्थापित करती हैं।

उक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन, राज्यपाल अग्रतर निदेश देती हैं कि पूर्वोक्त दिनांक से, जिला गोरखपुर के बनकटा शाहपट्टी घाट पर पूर्वोक्त सार्वजनिक नौघाट का तत्कालिक अधीक्षण, अधीक्षण अभियन्ता, गोरखपुर वृत्त, लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर में निहित होगा।

अनुसूची

जिला का नाम	नदी के दोनों ओर परगना के नाम	नदी के दोनों ओर पर ग्राम के नाम	नदी का नाम जिस पर नौघाट स्थापित किया जाना है	नौघाट का नाम
1	2	3	4	5
गोरखपुर	बाँयी ओर बनकटा घाट दाँयी ओर शाहपट्टी घाट	बाँयी ओर 1-बनकटा 2-अवरारूप 3-बारीगांव दाँयी ओर 1-भेउसा 2-डेवरी 3-पाकड घाट 4-डांडी	कुँवानों नदी	बनकटा शाहपट्टी घाट

नौघाट की सीमा					
नौघाट की श्रेणी	किनारा	धारा के प्रतिकूल	दूरी	धारा के अनुकूल	दूरी
6	7	8	9	10	11
"सी"	बायां किनारा एवं दॉया किनारा	अवरारूप,	1.50 किमी०	बनकटा,	0.100 किमी०
		बारीगांव,	2.00 किमी०	डेवरी,	1.00 किमी०
		भेउसा,	2.00 किमी०	पाकड़घाट,	2.00 किमी०
		बस्तियाँ	2.00 किमी०	डांडी	1.50 किमी०

आज्ञा से,
नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव।

THE Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 617/XXIII-2-2020-89(Sa)-2020, dated December 17, 2020 for general information:

No. 617/XXIII-2-2020-89(Sa)-2020
Dated Lucknow, December 17, 2020

WHEREAS the State Government is of the opinion that a new public ferry is needed on the Kuano River at Bankata Shahpatti Ghat in district Gorakhpur;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under clauses (c) and (d) of section 4 of the Northern India Ferries Act, 1878 (Act no. 17 of 1878), the Governor is pleased to establish, with effect from the date of publication of this notification in the *Gazette*, a new public ferry on the Bankata Shahpatti Ghat in district Gorakhpur within its limits as shown in the Schedule below.

Under section 6 of the said Act, the Governor is further pleased to direct that with effect from the aforesaid date, the immediate superintendence of the aforesaid public ferry at Bankata Shahpatti Ghat in district Gorakhpur shall vest in the Superintending Engineer, Gorakhpur Circle, Lok Nirman Vibhag, Gorakhpur.

SCHEDULE

Name of District	Name of the Pargana on both sides of the river	Name of Village on both sides of the river	Name of the river on which ferry is to be established	Name of the Ferry
1	2	3	4	5
Gorakhpur	Left Side Bankata Ghat	Bankata Auararoop Barigaon	Kuano river	Bankata Shahpatti
	Right Side Shahpatti Ghat	Bhaiusha Devari Pakadghat Dandi		

Limit of Ferry

Class of Ferry	Bank Edge	Upstream	Distance	Down Stream	Distance
6	7	8	9	10	11
"C"	Left-Right	Auararoop Barigaon	1.50 Km.	Bankata	0.100 Km.
		Bhausha	2.00 Km.		1.00 Km.
		Bastiya	2.00 Km.		2.00 Km.
			2.00 Km.		1.50 Km.

By order,
NITIN RAMESH GOKARN,
Pramukh Sachiv.